

10.08.21

वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रत्यक्षी आप्त न लगे ही गई

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र लगे आपसी समझौता मय शपथ पत्र प्रस्तुत निवेदन किया गया है वादी व प्रतिवादी के बीच लोक अदालत से आपसी शांतिनाम के सेलमन शपथ पत्र अनुसार आपसी सहमति से जाने के उपरान्त वाद मरिये शांतिनाम खारिज करमाया जाये

अतः वादी वकील के निवेदन पर लोक अदालत से आपसी सहमति पर उपरान्त वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावै (प्रत्यक्षी वकील कुमार ठाकुर दायर करे)

सहायक कमिश्नर (SDO) सिवाना



न्यायालय :-

जि. लखनऊ

राजस्व व

7/10/21
न. सिद्धांत

Presented by - Adm

श्री 13/8/21
बिने पट्टियाण
21/8/21
(जति ठाकुर)

